प्रपत्र– 2.2

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।

सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
कपकोट

ह0–
अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
कपकोट

(5)

कार्यालय ज्ञाप

जिला योजना 2011–12 की वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने विषयक शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/यु0सं0/2008–09 दिनांक 24.03.2008 एंव उप सचिव,लो0नि0वि–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1905/11(2)/11–05 (बजट)/2011, दिनांक 18.04.2011 में निहित प्राविधानों के तहत अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के पत्रांक 1501/जि0यो0/2011–12, दिनांक 17.08.2011 द्वारा जिला स्तरीय सड़क सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 17.08.2011 को आयोजित की गई थी। जिसमें समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में मार्गों के नव निर्माण/पुनः निर्माण एंव डामरीकरण तथा पुल–पुलियों के निर्माण हेतु 610.00 लाख के कार्य अनुमोदन किये गये हैं तदनुसार अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0,लो0नि0वि0 बागेश्वर में नये मोटर मार्गों के निर्माण एंव डामरीकरण कार्य हेतु 310.32 लाख के कुल 102 कार्यों के लिए प्रारम्भिक आगणन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

जिला नियोजन एंव अनुश्रवण समिति की रिर्पोट एंव शासनादेश सं0 205/XXVII (1)/2009 दिनांक 25.03.2009 तथा उक्त शासनादेश सं0 1905/11(2)/11–05(बजट)/2011 दिनांक 18.04.2011 में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा तकनीकी समिति द्वारा आगणन की जाँच उपरान्त संलग्न सूची में उल्लिखित कुल 102 कार्यों के लिए उनके आगे अंकित धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है, कि स्वीकृति कार्यों के लिए अलग–अलग विस्तृत आगणन गठित कर एंव उस पर सक्षम अधिकारी के प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800– अन्य व्यय–91 जिला योजना–00–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

उपरोक्त जिला योजना में उल्लिखित 102 कार्यों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 1905/11(2)/11–05(बजट)/2011, दिनांक 18.04.2011 में दी गयी अन्य शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जाय एंव कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति नियमानुसार शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(दीपक रावत)
जिलाधिकारी बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर

पत्रांक 1499/जिला योजना/2011–12 दिनांक 22/10/2011

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव,लो0नि0विभाग–उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. महालेखाकार(लेखा प्रथम) ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
5. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
6. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लो0नि0वि0, देहरादून।
7. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड–देहरादून।
8. मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
9. उप निदेशक, अर्थ एंव संख्या कुमायूँ मण्डल–हल्द्वानी।
10. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
11. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, बागेश्वर।
12. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
13. जिला अर्थ एंव संख्याधिकारी बागेश्वर।
14. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी–बागेश्वर।

जिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

प्रतिलिपि– समस्त सहायक अभियन्ता प्रा0 ख0 लो0नि0वि0 बागेश्वर [illegible]

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृति लागत (लाख ₹ में)
1	2	3
7	दोफाड़ धरमघर मोटर मार्ग में स्याकोट के पास 2मी० आर०सी०सी० स्कपर का निर्माण	2.00
8	कपकोट शामा के रमाड़ी से नान पन्याली डांगती होकरा मोटर मार्ग(वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 10किमी०	1.00
9	दारसिंग–नाथीसेरा से भन्तोला मिलान मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी०	0.50
10	दोफाड़ धरमघर मोटर मार्ग के स्याकोट हॉस्पिटल के पास से जलमानी तक मोटर मार्ग (नापभूमि में 2 किमी०)	2.00
11	पोगिना कीमू मोटर मार्ग का निर्माण(वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 7 किमी०	0.50
12	रमाड़ी मनधूरा मोटर मार्ग का निर्माण(वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी०	0.50
13	मयू गुलेर मार्ग 1 किमी० मोटर मार्ग का पहाड़ कटान (नापभूमि में)	2.00
14	कमेड़ीदेवी–स्याकोट मोटर मार्ग के किमी० 8,9 में डामरीकरण का कार्य (प्रथम चरण)	15.50
15	फुलेरा धनगिरी के पानी की टंकी से डमगाज से सुन्दिल मिलान मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी०	0.40
16	पी०एम०जी०एस०वाई० मोटर मार्ग से धरमघर–चुचे तिमाती मल्लाखेत से लाथी धन्याण तक मिला (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 6 किमी०	0.40
17	कपकोट रैस्ट हाउस की मरम्मत का कार्य।	4.00
18	पोथिंग से तोली तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 7 किमी०	0.40
19	जगथाना से पोथिंग तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 15 किमी०	1.00
20	पुड़कुनी से पोथिंग तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 6 किमी०	0.40
21	गजवा फार्म से डौला तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी०	0.50
22	हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 6 किमी०	0.50
23	बी०डी०टी०के० मोटर मार्ग के किमी० 38 में जारती पुल के निर्माण का आंगणन कार्य।	3.50
24	पी.एम.जी.एस.वाई. धरमघर–पुचेर मोटर मार्ग से द्वारी कैम्सीला नारी (वनभूमि हस्तान्तरण) 6किमी०	0.50
25	धरमघर एस०आर०ए०म० के सुधारीकरण के कार्य।	2.00
26	सनेती–बैकोडी मोटर मार्ग का विस्तार सनगाड़ तक (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 5 किमी०	0.50
27	जारती से रीमा तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 7 किमी०	0.50
28	तलाई इण्टर कालेज से सूपी तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 2 किमी०	0.50
29	[illegible] से जरगाड़ झूलापुल से लखमारा गाँव तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 5 किमी०	0.30
30	सुरकाण्डा, पाण्डूस्थल, गजियो तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 10 किमी०	0.50
31	कपकोट दूनी से सुरकाण्डा, तुर्ती तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 20 किमी०	1.00
32	पैनाड़ से जरगाड़ झूलापुल से लखमारा गाँव तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 5 किमी०	2.00
33	तप्तकुण्ड से चरनयूणा लिंक मोटर मार्ग (नापभूमि) पहाड़ कटान हेतु 1 किमी०	0.50
34	पाली से एठाड़ तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 6 किमी०	0.50
35	बघर पैदल मार्ग में सी०सी० का कार्य	5.00
36	तीती लिंक से होकरा तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 15 किमी०	1.00
37	कर्मी तोली से दोबाड़ तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 7 किमी०	0.50
38	कपकोट कर्मी गासपुल के पास से थागाधार, गोगा, [illegible], बिलोधार, ओखरका कर्मी तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 15 किमी०	0.50
39	कपकोट कर्मी मार्ग से तल्ला गोदियाधार [illegible] गाँव सुतमती तोली तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 6 किमी०	0.50
40	मयूँ गडेरा के चौकईधार से [illegible] तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तानान्तरण हेतु) 5 किमी०	0.50
41	वारती मोटर मार्ग का विस्तार (नापभूमि में)	1.00

संख्या– 429/III(2)/16–58(प्रा0आ0)/2013टी0सी0

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2016

लोक निर्माण अनुभाग–2

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में विभिन्न 04 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0:– 1154/III(2)/14–58(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22–02–2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा द्वारा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट/बागेश्वर में संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 04 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 21.00 किमी0 तथा लागत ₹ 176.86 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ **176.86 लाख (₹ एक करोड़ छिहत्तर लाख छियासी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 04 कार्यो हेतु ₹ 0.40 लाख (₹ चालीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-706/XXVII/(2)/2015 दि0:-20 जनवरी, 2016 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव

संख्या:- (1)/III(2)/16-58(ग्रा0आ0)/2013टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
4. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/बागेश्वर।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, बागेश्वर/कपकोट।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0एस0पांगती)
उप सचिव

शासनादेश संख्या:– 429 / 111(2)/16–58(प्रा0आ0)/2013टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी, 2016 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	कुल स्वीकृत लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र–कपकोट के अन्तर्गत काण्डा–सानिउडियार मोटर मार्ग के स्थान रावतसेरा–डोबारगाड़ा–धारीमधिया मोटर मार्ग तक निर्माण कार्य।	5.00	27.50	0.10
2	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र–बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इडिया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	6.00	83.76	0.10
3	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र–कपकोट के अन्तर्गत कन्यालीकोट पैसारी मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	5.00	32.80	0.10
4	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र–कपकोट के अन्तर्गत गैरखेत लखमारा मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	5.00	32.80	0.10
	योग:–	21.00	176.86	0.40

(कुल ₹ चालीस हजार मात्र)

(ए0एस0पांगती)
उप सचिव

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट